

राजस्थान-सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर।
क्रमांक नर्सिंग/वरि0/वि0कर्म0/(एफ-197)/19/ दिनांक:

सयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर,
बीकानेर, भरतपुर, कोटा।

विषय:- जीएनएम कोर्स उत्तीर्ण विभागीय कर्मचारियों की वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक की डीपीसी में डैफर रहे कार्मिकों की ए0सी0आर0 भिजवाने बाबत।
संदर्भ:- निदेशालय के पत्र क्रमांक. नर्सिंग/वरि0/(वि0कर्म0)/एफ-197/18/125 दिनांक-27.06.18, क्रमांक-173 दिनांक-28.08.18, क्रमांक-182 दिनांक-11.09.18, क्रमांक-214 दिनांक 26.10.18 क्रमांक:182 दिनांक-11.09.18, क्रमांक: 07 दिनांक-08.01.19 क्रमांक 75 दिनांक 04.04.19, क्रमांक:137 दिनांक-22.07.19 एवं क्रमांक:149 दिनांक- 16.08.19 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको विभागीय कर्मचारी जो जीएनएम कोर्स उत्तीर्ण तथा एडहोक नर्स श्रेणी-द्वितीय के पद पर कार्यरत है, की रिख्यू डीपीसी आयोजित किये जाने हेतु सूची भेजकर कार्मिकों की वर्ष 2007-08 से 2017-18 तक की बकाया एसीआर भिजवाने हेतु लिखा गया था परन्तु आज दिनांक तक वाछित एसीआर प्राप्त नहीं हुई है। जिसके कारण दिनांक-14.08.19 को आयोजित डीपीसी की बैठक में काफी कार्मिकों का चयन डैफर किया गया।

अतः आप संबंधित कर्मचारी को पाबन्द करे कि वह पूर्व में निदेशालय के पत्र क्रमांक.96 दिनांक 21.05.19 के साथ सलग्न वरिष्ठता सूची अनुसार बकाया एसीआर तत्काल भरकर संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी उपरान्त आप विशेष वाहक के द्वारा एसीआर निदेशालय को तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। इसके अतिरिक्त जीएनएम प्रशिक्षणार्थी को उनके प्रशिक्षण अवधि की एसीआर भी स्वयं के हस्ताक्षरित भिजवाई जानी आवश्यक है। संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध प्रतिकूल सेवा रिकार्ड की स्थिति यथा चेतावनी, दण्ड, क्रिमिनल केस, निलम्बन, विभागीय जांच, लम्बी अनुपस्थिति, कोर्टकेस एवं दिनांक: 1 जून 2002 या उसके पश्चात सतानो की सख्या में दो से अधिक की बढोतरी की स्थिति से भी अवगत करावें। विदित हुआ है कि कई कार्मिकों ने अपनी ए0सी0आर0 भरकर कार्यालय में जमा करा दी है, फिर भी इनकी ए0सी0आर0 निदेशालय को नहीं भिजवाई जा रही है। अतः एसीआर नहीं भिजवाये जाने का कारण स्पष्ट करते हुये दिनांक-16.09.19 तक बकाया ए0सी0आर0 भिजवाया जाना सुनिश्चित करे एवं ए0सी0आर0 नहीं भेजने के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये अवगत करावें।

(मुकुल शर्मा),

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),

दिनांक: 5/9/19

क्रमांक: नर्सिंग/वरि0/वि0कर्म0/(एफ-197)/19/156
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं अधीक्षक सलग्न चिकित्सालय को भेज कर लेख है कि पूर्व में संलग्न सूची में वर्णित कर्मचारी जो आपके अधीन पदस्थापित हों उनके वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन को आपके स्तर से पूर्ण कर अविलम्ब विभागीय जांच की सूचना के साथ भिजवाने की व्यवस्था करें।
- 2 प्रभारी सर्वररूम, मुख्यालय को भेज कर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने का श्रम करे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान-जयपुर